राजस्व वाद 177/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
श्रवणराम वगैरह बनाम् रामदेव वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 177/2021

वादीगण–
1. श्रवणराम पुत्र रामदेव
2. भींयाराम पुत्र रामदेव

जातियान–जाट,निवासीगण–अड़सिंगा,तहसील–जायल,जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –
1. रामदेव पुत्र जोराराम
   जाति–जाट,निवासी–अड़सिंगा,तहसील–जायल,जिला–नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–
1. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा वादीगण की ओर से
2. श्री योगेश कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 24/11/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जोचिणा तहसील जायल में खेत खसरा नंबर 135 रकबा 5.2690 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 5.9003 हैक्टेयर, खसरा नंबर 600/175 रकबा 0.8094 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा मौखिक तौर पर सम्वत् 2065 में वाद पत्र के पैरा संख्या 3 (अ से ब) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा का खेत खसरा नंबर 248 रकबा 5.9003 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 135 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से 13.06 बीघा पूर्वी हिस्सा तथा खसरा नंबर 600/175 रकबा 0.8094 हैक्टेयेर में से 2.10 बीघा पश्चिमी तरफ का भाग रखा गया है। वादी भींयाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा का खेत खसरा नंबर 135 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से 19.05 बीघा पश्चिमी हिस्सा तथा खसरा नंबर 600/175 रकबा 0.8094 हैक्टेयेर में से 2.10 बीघा पूर्वी तरफ का भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

24/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने दिनांक 04.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट जोचिणा में उपस्थित होकर सहमति पेश किया तथा दिनांक 06.10.2021 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जबाब भी पेश किया गया। वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 की पहचान अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शर्मा व संरपच ग्राम पंचायत जोचिणा ने की। ईकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन स्वयं से तामील होकर अप्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है लेकिन कैम्प कोर्ट जोचिणा में उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह श्रवणराम पुत्र रामदेव के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम अड़सिंगा तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 220 प्रदर्श–1 नकल पेश हुवे, अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबालिया जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबालिया जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबालिया जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबालिया जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अंनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 06.10.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 06.10.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा अड़सिंगा के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में

24/11/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 248, 135, 600/175 की भूमि का माफिक सहमति ईकबालिया जबाब/सहमति अनुसार बंट चाहा है। अतः मौजा अड़सिंगा के खेत खसरा नंबर 248, 135, 600/175 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुताबिक ईकबालिया जबाब एवं सहमति से खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा अड़सिंगा के खेत खसरा नंबर 248, 135, 600/175 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुताबिक ईकबालिया जबाब एवं सहमति से खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा का खेत खसरा नंबर 248 रकबा 5.9003 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 135 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से 13.06 बीघा पूर्वी हिस्सा तथा खसरा नंबर 600/175 रकबा 0.8094 हैक्टेयेर में से 2.10 बीघा पश्चिमी तरफ का भाग रखा गया है।
2. वादी भींयाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा का खेत खसरा नंबर 135 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से 19.05 बीघा पश्चिमी हिस्सा तथा खसरा नंबर 600/175 रकबा 0.8094 हैक्टेयेर में से 2.10 बीघा पूर्वी तरफ का भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।

निर्णय आज दिनांक 24/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 177/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
श्रवणराम वगैरह बनाम् रामदेव वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 177/2021

वादीगण–

1. श्रवणराम पुत्र रामदेव
2. भींयाराम पुत्र रामदेव , जातियान–जाट,निवासीगण–अड़सिंगा,तहसील–जायल,जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रामदेव पुत्र जोराराम, जाति–जाट,निवासी–अड़सिंगा,तहसील–जायल,जिला–नागौर।
2. तहसीलदार जायल जरिये सरकार

उपस्थिति :–

1. श्री मुन्नीलाल कड़वासरा वादीगण की ओर से
2. श्री योगेश कुमार शर्मा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीलाल कडवासरा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शर्मा एवं स्वंय व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा अड़सिंगा के खेत खसरा नंबर 248, 135, 600/175 में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुताबिक ईकबालिया जबाब एवं सहमति से खेताय एवं हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी श्रवणराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा का खेत खसरा नंबर 248 रकबा 5.9003 हैक्टेयर पूरा व खसरा नंबर 135 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से 13.06 बीघा पूर्वी हिस्सा तथा खसरा नंबर 600/175 रकबा 0.8094 हैक्टेयेर में से 2.10 बीघा पश्चिमी तरफ का भाग रखा गया है।
2. वादी भींयाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा अड़सिंगा का खेत खसरा नंबर 135 रकबा 5.2690 हैक्टेयर में से 19.05 बीघा पश्चिमी हिस्सा तथा खसरा नंबर 600/175 रकबा 0.8094 हैक्टेयेर में से 2.10 बीघा पूर्वी तरफ का भाग रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 रामदेव के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है।
   निर्णय आज दिनांक ...24/11/2021... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

24/11/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 177/2021
जीसीएमएस नंबर 2021/
श्रवणराम वगैरह बनाम् रामदेव वगैरह

तीज — मुबलिग — बाबत् —खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...24/11/2021........ को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर० तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :—इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

24/11/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर जायल

Scanned with CamScanner